

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद, (म.प्र.)
आदेश

क्रमांक 498 / दो-12-55 / 59

होशंगाबाद, दिनांक 03.12.19

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक डी/6993/दो-14-67/59 जबलपुर, दिनांक 14.11.2019 में किये गये अनुमोदन पर कार्यालय प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक ले.प्र.शा./चयन/19/840 भोपाल, दिनांक 29.11.2019 के द्वारा इस स्थापना पर कार्यरत शासकीय सेवक श्री नरेन्द्र कुशराम(सहा.ग्रेड-दो)प्रवर्तन लिपिक,न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, इटारसी एवं श्री दिलीप रनसूरमा(सहा.ग्रेड-दो)प्रवर्तन लिपिक,न्यायालय श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सिवनीमालवा को दिनांक 01.12.19 से 15.02.19 तक लेखा प्रशिक्षण प्राप्त करने भोपाल जाने को भारमुक्त करने हेतु प्रवेश पत्र प्राप्त होने के फलस्वरूप प्रशासकीय कार्यसुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों शासकीय सेवकों की प्रशिक्षण अवधि में उनके पद पर निम्नानुसार शासकीय सेवक आसंजित किये जाते हैं:-

क	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	आगामी पदस्थापना	रिमार्क
1	श्रीमती संगीता प्रधान, सहा. ग्रेड-तीन	आसंजित सहा.ग्रेड-तीन, अभिलेखागार अनुभाग, इटारसी	आसंजित प्रवर्तन लिपिक, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, इटारसी	श्री नरेन्द्र कुशराम के पद पर कार्य करने हेतु
2.	श्री संदीप वाघ, सहा.ग्रेड-तीन	सहा.ग्रेड-तीन, प्रतिलिपि अनुभाग, इटारसी	आसंजित, प्रवर्तन लिपिक न्यायालय श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सिवनीमालवा	श्री दिलीप रनसूरमा के पद पर कार्य करने हेतु

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

टीप :-(1) श्री संदीप वाघ, प्रतिलिपिकार, इटारसी के पद का संपूर्ण कार्यभार कु. दीपिका धुर्वे, सहायक प्रतिलिपिकार, इटारसी को तत्काल सौंपकर श्री दिलीप रनसूरमा, प्रवर्तन लिपिक न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सिवनीमालवा का संपूर्ण कार्यभार लेकर उन्हें लेखा प्रशिक्षण शाला, भोपाल में उपस्थित होने के लिए दिनांक 05.12.19 के पूर्व कार्यभार मुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे।

(2) श्रीमती संगीता प्रधान, सहायक अभिलेखापाल, इटारसी का पदभार श्री कौशलेश जोशी, अभिलेखापाल, इटारसी को तत्काल सौंपकर श्री नरेन्द्र कुशराम, प्रवर्तन लिपिक न्यायालय, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, इटारसी का संपूर्ण कार्यभार लेकर उन्हें लेखा प्रशिक्षण शाला, भोपाल में उपस्थित होने के लिए दिनांक 05.12.19 के पूर्व कार्यभार मुक्त कराना सुनिश्चित करेंगी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद(म0प्र0)

पृ.क. /दो-12-55/59

होशंगाबाद दिनांक 03.12.19

आदेशानुसार प्रतिलिपि:-

- (1) प्रभारी अधिकारी, प्रतिलिपि/अभिलेखागार अनुभाग, इटारसी जिला होशंगाबाद
- (2) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधी, इटारसी जिला-होशंगाबाद
- (3) श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद

की ओर सूचनार्थ एवं संबंधित शासकीय सेवकों को सूचित कराने हेतु प्रेषित है।

- (4) लेखापाल/देयक लिपिक कार्यालय, होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (5) सिस्टम आफिसर, होशंगाबाद की ओर उक्त आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।



प्रशासनिक अधिकारी

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
होशंगाबाद(म.प्र.)